# LOK SABHA

• It is also known as the 'House of people' or 'lower house'. / इसे 'जनता का सदन' या 'निचला सदन' भी कहा जाता है।

• It was constituted on 17th April 1952. / इसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था।

- Hindi name adopted in the year 1954./ हिंदी ना (1954) अपनाया गया।
- First sitting of Lok Sabha was held on 13 May 1952. /लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी।
- Members of the Lok Sabha elected directly. / लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।
- The Lok Sabha is the Lower House (First Chamber/Popular House), Represents the People of India as a whole /लोकसभा निचला सदन (प्रथम सदन/लोकप्रिय सदन) है, जो समग्र रूप से भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है।



SCIST (104te Amerol)

### Composition of Lok Sabha/ लोकसभा की संरचना

- Maximum strength of the Lok Sabha is fixed a 552.) लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित है।
- Representatives of the States and UTs (elected directly) / राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि (प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित)
- Members nominated by the President :- 2 from Anglo-Indian community.(Now this provision has been deleted by 104th Amendment of the Indian Constitution) / राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य: 2 एंग्लो-इंडियन समुदाय से। (अब यह प्रावधान भारतीय संविधान के 104वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है)
- Representatives of the States 530 / राज्यों के प्रतिनिधि 530
- Representatives of the Union Territories \_\_ 20 / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि \_ 20

### UT

- The representatives of states in the Lok Sabha are directly elected by the people from the territorial constituencies in the states.
- लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से जनता द्वारा सीधे किया जाता है।
- Eligible age for every Indian citizen to vote is 18 year.
- प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए मतदान की पात्र आयु 18 वर्ष हैं।

- The election is based on the principle of universal adult franchise.
- यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है।
- Parliament enacted UTs (Direct Election to the House of the People) Act, 1965, by which the members of Lok Sabha from the UTs are also chosen by direct election
- संसद ने संघ शासित प्रदेशों (लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन) अधिनियम, 1965 पारित किया, जिसके तहत संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है।

### प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनः समायोजन

neadjustificite of Lon Sabria Seats after every cerisus

#### (Article 82

- After every census, a readjustment is to be made in:/ प्रत्येक जनगणना के बाद, निम्नलिखित में पुनः समायोजन किया जाएगा:
- Allocation of seats in the Lok Sabha to the states/ राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन
- Division of each state into territorial constituencies./ प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन।
- Accordingly, the Parliament has enacted the Delimitation Commission Acts in 1952, 1962, 1972 and 2002 for this purpose. (four times till date)/ तदनुसार, संसद ने इस उद्देश्य के लिए 1952, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किए हैं। (आज तक चार बार)

# प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनः समायोजन

# TOUR SCIST WA

- The 42nd Constitutional Amendment Act , 1976: seat/were fixed based on 1971 Census unti 2000 / 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976: 2000 तक 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें निर्धारित की गईं।
- The 84th LAA 2001 banned readjustment of seats that was extended for another 25 years (up to year 2026) / 84वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 ने सीटों के पुनर्समायोजन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे अगले 25 वर्षों (वर्ष 2026 ) के लिए बढ़ा दिया गया।
- The 87th Constitution Amendment Act, 2003 Provided for the delimitation of constituencies on the basis of 2001 census and not 1991 census/ 87वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने 1991 की जनगणना के बजार 2001 जि जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया।



### RAJYA SABHA

3(A+180)



- It is also known as the 'House of Elders' or 'Council of States'./ इसे 'वृद्धों का सदन' या 'राज्य परिषद' के नाम से भी जाना जाता है।
- Hindi name was adopted in 1954./हिंदी नाम 1954 में अपनाया गया था। 🗸
- It was constituted on 3rd April 1952./ इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था।
- First sitting was held on 13 May 1952./ पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी।



## Composition of Rajya Sabha/ राज्यसभा की संरचना

• Maximum strength of the Rajya Sabha is fixed at 250 238 Members elected indirectly and 12 nominated by the President/ राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्य 250 निर्धारित है (238 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)।

Present Rajya Sabha-/ वर्तमान राज्यसभा -

- Total member strength / कुल सदस्य संख्या 245
- Representatives of the States / राज्यों के प्रतिनिधि 229
- Representatives of the Union Territories/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि 4
- Members nominated by the president / राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य 12

Lokhabha Rajyanabla 2 Nominale Mext 1 80 Days) PM Cabinate

2M+CabiveL (lentra) Pic **अंद्र** संसद सासद LOK Executive MORTHON KM+Cabinok मंडल Legislative Armosly)

राज्यसमा प राज्या का आसामानायस

 Representatives of states in the Rajya Sabha are elected by the elected members of state legislative assemblies.
 / राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।

 Method of Election: System of proportional representation by means of the single transferable vote./ <u>निर्वाचन</u> <u>पद्धति:</u> एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली।

 The seats are allotted to the states in the Rajya Sabha on the basis of population./ राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं।  The representatives of each UTs in the Rajya Sabha are indirectly elected by members of an electoral college specially constituted for the purpose./ राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों का चुनाव इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

 Method of Election: Through a System of proportional representation by means of the single transferable vote. / <u>निर्वाचन पद्धति:</u> एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से।

Kajyahabha okrabea Chairman -> V. Fredich 552

### Nominated members in the Rajya Sabha/ राज्यसभा में मनोनीत सदस्य

12 members nominated by President to the Rajya Sabha from people who have special knowledge or practical experience in राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत 12 सदस्य, ऐसे व्यक्तियों में से जिले:

- Art/ कला 🧹
- Literature / साहित्य
- science and / विज्ञान और
- social service / समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

- 104th Constitutional Amendment Act 2019 (126th CA Bill)/ 104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2019 (126वाँ संविधान संशोधन विधेयक)
- Objectives of the amendments are two fold: संशोधनों के दो उद्देश्य हैं:
- To extend reservation for SC and ST(Art. 330 and 332) to Lok Sabha and legislative bodies. / अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अनुच्छेद 330 और 332) के लिए आरक्षण को लोकसभा और विधायी निकायों तक विस्तारित करना।
- Discontinuing the pxovision of nominating Anglo Indians(Art. 331) to Lok Sabha and legislative bodies./ एंग्लो इंडियन (अनुच्छेद 331) को लोकसभा और विधायी निकायों में नामांकित करने के प्रावधान को समाप्त करना।

### Comparing Proportional Representation and First Past the Post System

PROPORTIONAL REPRESENTATION	FIRST PAST THE POST SYSTEM
<ul> <li>Large geographical areas are demarcated as constituencies. The entire country may be a single constituency (such as Israel or the Netherlands).</li> </ul>	The country is divided into small geographical units called constituencies or districts.
More than one representative may be elected from one constituency.	Every constituency elects one representative only.
Voters vote for the party instead of for a candidate.	Voters vote for a candidate and not for a party.
<ul> <li>Every party gets seats in the legislature in proportion to the percentage of votes that it gets.</li> </ul>	A party may get more seats than votes in the legislature.
Candidate who wins the elections gets a majority of votes.	Candidate who wins the election may not get majority (50% + 1) votes.
Examples: Israel, Netherlands	• Examples: U.K., India

### आनुपातिक प्रतिनिधित्व और प्रथम-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली की तुलना

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली	प्रथम-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली
• बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विभाजित किया जाता है। पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र भी हो सकता है (जैसे इज़र इल, नीदरलैंड)।	• देश को छोटे-छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है।
• एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं।	• प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है।
• मतदाता उम्मीदवार के बजाय राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं।	मतदाता पार्टी के बजार उम्मीदवार को वोट देते हैं।
• प्रत्येक पार्टी को प्राप्त मत प्रतिशत के अनुपात में विधानमंडल में सीटें मिलती हैं।	किसी पार्टी को प्राप्त मतों से अधिक सीटें भी मिल सकती हैं।
• चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत (50% + 1) वौर मिलते हैं।	• चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत (50% + 1) वोट मिलना आवश्यक नहीं होता।
• उदाहरण: इ.जराइल, नीदरलैंड	• उदाहरण: ब्रिटेन, भारत

Notex stule Other